न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2015 अपील

.1. नाथूराम पुत्र मुन्नीलाल

2. झब्बूलाल पुत्र मुन्नीलाल

निवासीगण ग्राम किसनपुरा तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

..... अपीलार्थीगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन ... प्रत्यर्थी

न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग, सागर (म.प्र.) द्वारा अपील प्रकरण कमांक 314/अ–6–अ/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 29.9.2015 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (2) के अधीन द्वितीय अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थीगण का निम्नानुसार निवेदन है कि –

संक्षप्ति तथ्य

यह कि, अपीलार्थीगया के ख.नं. 190 रकवा 2.140 हे. मौजा किसनपुरा तहसील व जिला सागर में स्थित है जिसके बंदोवस्त उपरांत नया ख.नं. 106, 107 रकवा कमंश 0.18 एवं 1.77 हे. कुल रकवा 1.95 हे. बनाया गया इस तरह अपीलार्थीगण के मूल रकवा में से 0.19 हे. की बंदोवस्त दौरान कमी की गई थी जिसके सुधार हेतु अपीलार्थीगण द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया उक्त आवेदन पत्र के आधार पर रा.प्र.कं. 17/अ–6(अ) वर्ष 2005–06 में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 3930–एक/2015 अपील जिला– सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15 –02–2017	1– अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता मुकेश भार्गव उपस्थित प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता डी.के. शुक्ला उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह अपील अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के अपील प्रकरण क्रमांक 314/अ–6–अ/08–09 में पारित आदेश दिनांक 29.9.15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 3– प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम किसनपुरा तहसील व जिला सागर में स्थित भूमि ख.नं. 190 रकवा 2.140 है0 बंदोवसत उपरांत निर्मित नये नं. 106,107, रकवा 0.18 एवं 1.77 कुल रकवा 1.95 है. बनाया गया इस प्रकार अपीलार्थी के मूल रकवा में 0.19 है0 की कमी बंदोवस्त उपरांत बनाये गये नक्शे की आकृति में कीगई। उसी अनुसार खसरा में रकवा कम कर दिया जिसे दुरूस्त कराने हेतु आवेदन पत्र अपर कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपर कलेक्टर सागर द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 6/अ–6–अ/07–08 में पारित आदेश दिनांक 30.5.08 द्वारा निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जिसे अपर आयुक्त सागर ने अपने आदेश दिनांक 29.9.2015 द्वारा निरस्त कर दी । इस आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।	

कृ.पृ.उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4– अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस प्रस्तुत अपील आधारों पर केन्द्रित करते हुये मुख्यतः यह तर्क दिए हैं कि अपीलार्थी का पुराना ख.नं. 190 रकवा 2.140 है0 बंदोवस्त उपरांत निर्मित नये नम्बर 106, 107, रकवा 0.18 एवं 1.77 है0 कुल रकवा 1.95 है. बनाया गया। इस प्रकार अपीलार्थी के मूल रकवा में 0.19 है0 की कमी बंदोवस्त उपरांत बनाये गये नक्शे की आकृति एवं खसरा में की गई है। अपीलार्थीगण खसरे में जितने रकवा के भूमिस्वामी है उससे कम रकवा की नक्शे में आकृति बना देने से उक्त नक्शे के आधार पर खसरा में 0.19 है0 रकवा कम कर दिया गया है। मौके पर अपीलार्थी अपनी भूमि की नाप कराता है तब उसे बंदोवस्त पूर्व खसरा में अंकित रकवा से कम भूमि नाप कर दी जाती है इस कारण बंदोवस्त के पूर्व नक्शा अनुसार बंदोवस्त पश्चात तैयार किये गये खसरा एवं नक्शा में भिन्नता होने से उक्त खसरा एवं नक्शा की दुरूस्ती के लिये विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन दिया था उक्त आवेदन पर तहसीलदार ने पटवारी से प्रतिवेदन लिया पटवारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रस्तावित किया कि ख.नं. 114 रास्ता है इसमें से पूर्ति का पटवारी ने प्रतिवेदन में लेख किया है प्रतिवेदन के अनुसार ख.नं. 114/1 रास्ता होगा और 114/2 में से 0.06 है. की पूर्ति अपीलार्थी के रकवा में कीजाये। इसी प्रकार ख.नं. 108 का रकवा बढ गया है उक्त ख.नं. मंदिर का है ख.नं. 108 में से भी 0.13 है0 की पूर्ति अपीलार्थी के रकवा में किये जाने का प्रतिवेदन दिया था। उनका यह भी तर्क है कि नक्शा दुरूस्त करने का अधिकार कलेक्टर को था इस कारण नायब तहसीलदार ने प्रतिवेदन	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 3930–एक/2015 अपील जिला– सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अनुविभगीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर सागर को भेजा अपर कलेक्टर सागर ने प्रकरण में अपीलार्थी को कोई सूचना पत्र नहीं दिया न ही सुना गया उन्हें सुने बिना अपने आदेश द्वारा अपीलार्थी का आवेदन निरस्त कर दिया। उनका यह भी तर्क है कि अधीक्षक भू. अभिलेख का प्रतिवेदन बुलाने का अपर कलेक्टर ने अपने समक्ष पंजीबद्ध प्रकरण में आदेश पत्रिका पर कोई आदेश नहीं दिया गया किस दिनांक को प्रतिवेदन तैयार हुआ और किस दिनांक को अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया इस संबंध में आदेश पत्रिका में कोई उल्लेख नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अपर कलेक्टर ने हल्का पटवारी तथा नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन पर विचार किये बिना अधीक्षक भू. अभिलेख का प्रतिवेदन मान्य कर आदेश पारित किया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी खसरा में जितना रकवा का भूमिस्वामी है उसी अनुसार बंदोवस्त के पूर्व नक्शा की आकृति बनीथी वह सही थी बंदोवस्त उपरांत तैयार किये गये नक्शा मं अपीलार्थी की भूमि से लगी अन्य भूमियों के बीच जो सीमायें (मेढ़) बनी थी उक्त सीमाओं (मेढ़) को मौके के अनुसार नक्शा तैयार न कर मौके के विपरीत सीमा चिन्ह (मेढ़) बना देने से उक्त नक्शा में त्रुटि हुई है बंदोवस्त के पूर्व नक्शा अनुसार वर्तमान नक्शा दुरूस्त किये जाने की स्थिति में अपीलार्थी के रकवा की पूर्ति हो जायेगी।	

क्रम तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उनका यह भी तर्क है कि अपर कलेक्टर ने अधीक्षक भू. अभिलेख के प्रतिवेदन को मात्र आधार बनाकर अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया है जबकि उक्त प्रवितेदन अपीलार्थी की पीठ पीछे तैयार किया गया है। अपीलार्थी को प्रतिवेदन तैयार करने से पूर्व न तो कोई सूचना दी गई न ही उन्हें सुना गया एकपक्षीय प्रतिवेदन को आधार बनाकर आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश की थी जिसे अपर आयुक्त सागर ने अभिलेख का समुचित परीक्षण किये बिना अपील निरस्त कर दी।इस प्रकार दोनों न्यायालयों ने इस तथ्य पर विचार किये बिना कि अपीलार्थी का रकवा कम हुआ है तब उक्त रकवा की पूर्ति किस प्रकार की जा सकती है इस तथ्य पर विचार किये बिना आदेश पारित किये जाने से उक्त आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया। 5– प्रत्यर्थी म.प्र. शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को उचित बताते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। 6– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ख.नं. 190 रकवा 2.140 है0 बंदोवस्त उपरांत निर्मित नये नम्बर 106, 107 रकवा 0.18 व 1.77 है0 कुल रकवा 1.95 है0 बनाया गया है इस प्रकार अपीलार्थी के मूल रकवा में 0.19 है0 रकवा खसरा में कम कर दिया उसी अनुसार नक्शा की आकृति में रकवा की	

BR(H)-11

-6-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 3930–एक/2015 अपील जिला– सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कमी की गई जिसे दुरूस्त कराने हेतु आवेदन पत्र अपर कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अपर कलेक्टर ने नायब तहसीलदार एंव हल्का पटवारीसे मौके की जांच कर प्रतिवेदन बुलाये गये उक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के रकवा में कमी हुई है जिसकी पूर्ति ख.नं. 114 जो रास्ता है प्रतिवेदन अनुसार 114/1 रास्ताहोगा एवं 114/2 में से 0.06 है0 रकवा की पूर्ति अपीलार्थी के रकवा में की जाये इसी प्रकार ख.नं. 108 का रकवा बढ गया है उक्त ख.नं. 108 में से 0.13 है0 रकवा की पूर्ति अपीलार्थी के रकवा में किये जाने का प्रतिवेदन दिया गया है अपर कलेक्टर के अभिलेख से स्पष्ट है कि अधीक्षक भू. अभिलेख सागर से रिपोर्ट (प्रतिवेदन) मंगाई जाने एवं प्राप्त होने का उल्लेख आदेश पत्रिका में नहीं है जबकि उसी प्रतिवेदन को आधार बनाकर आदेश पारित कियाहै जब अधीक्षक भू. अभिलेख से प्रतिवेदन मंगाये जाने एंव प्राप्त होने का प्रकरण में कोई उल्लेख ही नहीं है तब यह भी स्पष्ट है कि उक्त प्रतिवेदन तैयार करने से पूर्व न तो अपीलार्थी को सूचना दी गई न ही उसे सुना गया एकपक्षीय प्रतिवेदन को आधार बनाकर अपर कलेक्टर ने अपीलार्थी का रकवा सुधार आवेदन निरस्त कर दिया। अभिलेख से यह प्रमाणित है कि प्रकरण में ऐसी कोई रिपोर्ट या साक्ष्य पेश नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि अपीलार्थी का रकवा कम नहीं हुआ जबकि अपीलार्थी के रकवा की पूर्ति किस प्रकार की जा सकती है इस संबंध में नायब तहसीलदार एवं हल्का पटवारी ने प्रस्तुत प्रतिवेदन में स्पष्ट लेख किया है	

कृ.पृ.उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा... आदि के हस्ताक्षर
	उक्त प्रतिवेदन का अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में उल्लेख तक नहीं किया बल्कि अधीक्षक भू. अभिलेख के प्रतिवेदन को आधार बनाकर आदेश पारित कर दिया जिस प्रतिवेदन का आदेश पत्रिका में कोई उल्लेख ही नहीं है इस कारण उक्त प्रतिवेदन का कानून की मंशा में कोई अस्तित्व ही नहीं है अर्थात उक्त प्रतिवेदन शून्य है ऐसे प्रतिवेदन को आधार बनाकर अपर कलेक्टर सागर ने जो आदेश पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण है उक्त त्रुटिपूर्ण आदेश को अधीनस्थ न्यायालय ने स्थिर रखने में अवैधानिकता की है इस कारण दोनों न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.9.15 एवं अपर कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.5.08 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हें। अपीलार्थीगण के बंदोवस्त पूर्व उसके स्वामित्व का खसरा नं. 190 रकवा 2.140 है0 बंदोवस्त उपरांत निर्मित नये नं. 106, 107, रकवा 0.18 एंव 1.77 है0 कुल रकवा 1.95 है0 बनाया गया है । इस प्रकार बंदोवस्त उपरांत 0.19 है0 रकवा खसरा में कम कर दिया उसी अनुसार नक्शा की आकृति में रकवा कम कर दिया। इस प्रकार राजस्व अभिलेख में की गई त्रुटि दुरूस्त करने हेतु तहसीलदार सागर को निर्देश दिये जाते हैं कि बंदोवस्त के पूर्व नक्शा एंव खसरा में अंकित अपीलार्थी का रकवा 2.140 है0 के विपरीत बंदोवस्त उपरांत तैयार किये गये नक्शा की आकृति एवं खसरा में रकवा की जो कमी हुई है उसे बंदोवस्त पूर्व नक्शा एवं खसरा में अंकित अपीलार्थीगण के स्वामित्व में अंकित रकवा 2.140 है0 भूमि अनुसार वर्तमान राजस्व अभिलेख नक्शा एवं खसरा में रकवा की पूर्ति करते हुये दुरूस्त किये जावे।तथा यह अपील स्वीकार की जाती है। सदस्य	